



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों की सूची तैयार करने के लिए
अभिरुचि की अभिव्यक्ति

संदर्भ संख्या : प्रचार-विविध/0001/2021-प्रचार

दिनांक : 17-02-2021

सीपीपी ईओआई संदर्भ : 2021_SB_596956_1

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन

एन.एच. बैपास, पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची-682025, केरल, भारत

फोन : 91-484-2333615

इ-मेइल : publicity.sb-ker@gov.in

वेबसाइट : www.indianspices.com

विषय वस्तु

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	3
2	स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों की सूची तैयार करने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति	3
3	कार्यों की गुंजाइश	3
4	आवश्यक पात्रता मानदंड	4
5	सामान्य निबंधन व शर्तें	4
6	ईओआई की प्रस्तुति	5
7	स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों की सूची तैयार करने केलिए चयन प्रक्रिया	5
8	अनुबन्ध	
	अनुबन्ध I : तकनीकी बोली	6
	अनुबन्ध II : आवेदक की वित्तीय स्थिति	7

1. प्रस्तावना

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए गठित एक प्रमुख संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है।

बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए गतिविधियों की अगुवाई कर रहा है, जिसमें उद्योग के हर क्षेत्र शामिल है। बोर्ड ने इसके विकास और प्रचार तंत्रों के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को अपनी आधारशिलाएं बनाई है।

स्पाइसेस बोर्ड की बहू आयामी गतिविधियों में निर्यात संवर्धन, अनुसंधान, छोटी व बड़ी इलायची के विकास एवं घरेलू विपणन का विनियमन, सभी मसालों का कटाई-पाश्चात् सुधार, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना, मसालों का प्रसंस्करण और प्रमाणन, उत्तर पूर्व में मसालों का विकास, गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएं आदि शामिल हैं।

बोर्ड विभिन्न योजनाओं, जैसेकि, व्यापार संवर्धन, ब्रांड संवर्धन, अनुसंधान और उत्पाद विकास आदि, के माध्यम से मसाला निर्यात को बढ़ावा देने का समर्थन करता है। बोर्ड, भारतीय मसालों और मूल्य वर्धित मसाले उत्पादों को विश्व बाजार में बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

2. स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों की सूची तैयार करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति

स्पाइसेस बोर्ड, वित्तीय वर्ष 2021 से प्रारंभ होकर दो वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों व इवेंटों के वास्ते प्रदर्शन स्टॉलों के डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित एजेंसियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

3. कार्यों की गुंजाइश

- प्रदर्शन सामग्री, मॉडल, प्रेरक आदि की तैयारी सहित प्रदर्शनी स्थान के डिजाइन में रचनात्मक इनपुट प्रदान करना।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इवेंटों में बोर्ड के स्टॉल का डिजाइनिंग, निर्माण, स्थापना और अलग-अलग करना।
- प्रदर्शनियों तथा इवेंटों में डिजाइन व स्पेस लेआउट के अनुसार आवश्यक फ़ैब्रिकेशन तैयार करना ।
- प्रदर्शन स्टॉलों, पावेलियनों तथा आयोजन स्थानों को सजाना।
- प्रदर्शन बोर्डों तथा अन्य संकेतकों का डिजाइनिंग तथा फ़ैब्रिकेशन ।
- रचनात्मक प्रदर्शन से संबंधित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर कोई अन्य संबंधित सेवाएं।

4. आवश्यक पात्रता मानदंड

- आवेदक भारत में पंजीकृत एक कानूनी इकाई होनी चाहिए।
- एजेंसी को भारत और विदेश में कहीं भी बोर्ड के स्टॉलों को डिजाइन करने में सक्षम होना चाहिए।
- घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय इवेंटों में प्रदर्शन स्टॉलों के डिजाइन और फ़ैब्रिकेशन करने में कम से कम पांच वर्षों का कार्य अनुभव होना ज़रूरी है।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (2017-18, 2018-19 और 2019-20) प्रदर्शनों के डिजाइन और स्थापना करने के कार्य से कंपनी का औसतन वार्षिक आय कम से कम एक करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित किए दस्तावेज़ी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।
- एजेंसी को (कम से कम दो) सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ सूचीबद्ध या काम करने का अनुभव होना ज़रूरी है।

5. सामान्य निबंधन व शर्तें

1. यह सूची दो साल की अवधि के लिए जारी रहेगी, जब तक सेवा में कमी, कार्य की निम्न-स्तरीय गुणवत्ता, ठेके का भंग, अपेक्षित कार्य में कमी या समाप्ति के कारण स्पाइसेस बोर्ड द्वारा घटाया या समाप्त न किया गया हो। इस सूची को, एजेंसी द्वारा संतोषजनक निष्पादन के आधार पर बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जाने के अनुसार अनुवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।
2. एजेंसी को किसी भी मुकदमेबाजी में, जो करार के इस ई ओ आई के तहत और सेवाओं के निष्पादन में अपेक्षित सेवाओं की पूर्ति को प्रभावित करने या उसमें मेल-जोल कर सकती है, शामिल नहीं होना चाहिए।
3. एजेंसी को आयकर प्राधिकारियों के साथ अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और प्राधिकारियों द्वारा जारी किए पैन (पी ए एन) की एक प्रति ई ओ आई के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
4. अगर एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या पैनल में शामिल होने के लिए प्रदान की गई जानकारी किसी भी स्तर पर गलत साबित होती है, तो स्पाइसेस बोर्ड, बयाना राशि को (ईएमडी) को जब्त करने के साथ पैनल-सूची से ऐसी किसी भी एजेंसी को हटाने का अधिकार रखता है।
5. एजेंसी को, बोर्ड की लिखित पूर्वसहमति के बिना, इस संविदा के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी दूसरी कंपनी / फर्म / एजेंसी / ठेकेदार को हस्तांतरित करने, सुपुर्द करने, गिरवी रखने या उप-संविदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. स्पाइसेस बोर्ड, बिना कोई भी कारण बताए, किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
7. स्पाइसेस बोर्ड अग्रिम भुगतान नहीं करता है। अग्रिम भुगतान के किसी भी अनुरोध को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि यह आवश्यक है, तो अग्रिम

भुगतान, सर्वथा समतुल्य बैंक गारंटी के खिलाफ ही किया जाएगा। जो एजेंसियां इन शर्तों से सहमत हैं, केवल उन्हें ही सूची में सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा।

6. ईओआई की प्रस्तुति

रुचि रखनेवाली एजेंसी निम्नलिखित विवरणों सहित अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी:

- आवेदन प्रपत्र (अनुबंध I व II)
- एजेंसी द्वारा डिज़ाइन किए गए स्टॉलों के अच्छे फ़ोटोग्राफ़ के साथ एजेंसी का प्रोफ़ाइल
- पैन कार्ड और जी एस टी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रति
- इस क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव के समर्थक दस्तावेज़
- पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न
- निर्धारित प्रपत्र -अनुबंध II - में भरे हुए और सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित टर्न-ओवर के विवरण के साथ वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रतियां।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से 'The Secretary, Spices Board India' के नाम पर कोच्ची में देय 2,00,000 / - रुपये (केवल दो लाख रुपये)की डी डी के रूप में ली गई बयाना राशि।
- एक स्वयं घोषणा-पत्र कि " एजेंसी किसी भी मुकदमेबाजी में, जो स्पाइसेस बोर्ड के साथ सूचिबद्ध होने के इस ई ओ आई के तहत और करार के निष्पादन में अपेक्षित सेवाओं की पूर्ति पर प्रभाव डाल सकती है या उसमें समझौता कर सकती है, शामिल नहीं ।"

प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रस्तावों को अयोग्य घोषित किया जाएगा । उपर्युक्त समाप्ति-तारीख व समय के बाद प्राप्त बोलियों को इस संबन्ध में बिना आगे की किसी सूचना के, तिरस्कृत किया जाएगा।

पूरी की गई बोलियाँ (अनुबंध I व II सहित) आवश्यक दस्तावेजों के साथ मोहरबंद कवर में, जिसके ऊपर " स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों की सूची तैयार करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति " लिखा हुआ हो, **12 अप्रैल, 2021 को सायं पाँच बजे** या उससे पूर्व श्री प्रत्यूष टी.पी., उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, एन एच बाई पास रोड, पालारिवट्टम, कोच्ची- 682 025 के पते पर पहुँच जानी चाहिए । बोलियों को **13 अप्रैल, 2021 को दोपहर बाद तीन बजे** खोला जाएगा।

7. स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों की सूची तैयार करने के लिए चयन प्रक्रिया

1. एजेंसियों के लघु-सूचीयन को बोली में दी गई सूचना के आधार पर सख्ती से किया जाएगा।
2. सूची में शामिल करने हेतु एजेंसियों की संख्या का निर्णय बोर्ड के साथ निहित होगा।
3. उपरोक्त किसी एक या सभी शर्तों का, बिना कोई कारण बताए, संशोधन करने, आशोधन करने, जोड़ने या मिटाने, अंशतः या पूर्णतः स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार स्पाइसेस बोर्ड रखता है।

8. अनुबन्ध

अनुबन्ध I

तकनीकी बोली

स्पाइसेस बोर्ड के लिए स्टॉल डिज़ाइनिंग एवं फ़ैब्रिकेशन एजेंसियों के चयन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति

क्र. सं.	विनिर्देशन	विवरण
1	नाम	
2	स्थापना वर्ष	
3	संस्थापन का स्थान	
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	
5	केरल में कार्यालय का पता, यदि है तो	
6	केरल के बाहर शाखाओं/सहयोगी कार्यालयों का विवरण:	
7	कंपनी का प्रोफाइल:	
8	बोलीदाता का कानूनी स्थिति (मालिक/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लि.)	
9	आयकर रजिस्ट्रीकरण का विवरण, आयकर समाशोधन/पैन विवरण संलग्न करें :	
10	जी एस टी रजिस्ट्रीकरण (प्रति संलग्न करें):	
11	एजेंसी के सी ई ओ/प्रमुख का संपर्क विवरण: (नाम, पता, फ़ोन, इ-मेल, मोबाइल)	
12	कार्य अनुभव(सरकार/मंत्रालय/पीएसयू ग्राहक का विवरण प्रदान करें)	
13	कारोबार: (समर्थन दस्तावेज और विधिवत् भरे हुए अनुलग्नक II संलग्न करें)	

(आवेदक का हस्ताक्षर व नाम)

(मुहर)

स्थान व तारीख :

आवेदक की वित्तीय स्थिति

पिछले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भरें और शासपत्रित या सार्वजनिक लेखा या वाणिज्य मंडल द्वारा प्रमाणित किया जाए

पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार

राशि	2017-18	2018-19	2019-20

(आवेदक का हस्ताक्षर व नाम)
(मुहर)

स्थान व तारीख :